

आदेश ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 225/2020 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लि.) कार्यालय 102, कंचन अपार्टमेन्ट, एल बी एस कालेज के सामने तिलक नगर, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री संजय सैनी पुत्र श्री मिश्री लाल सैनी,
2. श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री संजय सैनी,
3. मिश्री लाल सैनी पुत्र श्री सुन्दर लाल सैनी,

पता :- प्लॉट नम्बर 30, किशन कॉलोनी, मालपुरा गेट के पास, रानी का तालाब, सांगानेर, जयपुर।

4. बाबूलाल माली पुत्र श्री घीसीलाल माली

पता :- 3, गायत्री नगर-2, गौशाला के पीछे, सांगानेर बाजार, टोंक रोड, सांगानेर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002.

उपस्थित:-

1. श्री प्रनोद कुमार अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।
2. श्री सुरेन्द्र कुमार व्यास अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से।

आदेश

दिनांक 30.05.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 08.12.2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री मिश्री लाल सैनी के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 30, किशन कॉलोनी, मालपुरा गेट के पास, रानी का तालाब, सांगानेर, जयपुर क्षेत्रफल 109.24 वर्ग गज को बन्धक रख कर कुल 10,00,000/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 18.01.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।


जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री सुरेन्द्र कुमार व्यास ने वकालतनामा पेश किया। जवाब/बहस हेतु अवसर चाहा गया है।
3. उभय पक्ष को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 24 अक्टूबर 2018 को क्रम संख्या 13 पर सरफेशी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. अप्रार्थी ने जवाब बहस प्रस्तुत करने के लिए समय चाहा है, किन्तु सरफेशी एक्ट की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का 30 दिवस या अधिकतम 60 दिवस में निस्तारण किये जाने का प्रावधान है। इसलिए अधिक समय नहीं दिया जा सकता है।
6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 10,00,000/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण चसूली के लिए बकाया ऋण राशि मग ब्याज कुल 9,18,570/-रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 18.01.2020 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में चसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रवृत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री मिश्री लाल सीपी के स्वागित्त की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 30, किशन कॉलोनी, मालपुरा गेट के पास, रांची का तालाब, सांगानेर, जयपुर क्षेत्रफल 109.24 वर्ग मज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आवेदित किये जाते है।

8. आवेदित की प्रति संबन्धित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीनाक जयपुर मापीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को विलाने हेतु संबन्धित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्ध करे। आवेदित की प्रति हरब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल वपत्तर हो।

9. आवेदित आज दिनांक 30.06.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजा विशाल)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर